Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 1, Issue 1 - 2016

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम

अवधेश कुमार गुप्ता*

विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिये सर्वप्रथम अधिकार सम्बन्धी नीति की घोषणा वर्ष 2000 के मार्च माह में आयात व निर्यात नीति को ध्यान में रखते हुये की गई। इस नीति ने विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत कार्य किया। चूंकि यह नीति का स्वरूप बहुत ही विशाल एवं लंबे समय तक रहने वाला उधोग जगत को बहुत अधिक प्रभावित करने वाला है, इसलिये अधिनियम की निर्माण के समय बहुत सी बाते तथा पहलुओं पर विचार के बाद तथा सुविधाजनक पालन हो ऐसा विचार रखते हुये इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ।

सरकार द्वारा अब तक के कार्यरत निर्यात संवर्द्धन क्षेत्र की भी सहायता अधिनियम के निर्माण के समय ली गयी। इनसे उपलब्ध आंकड़े तथा इनके परिणामों का मूल्यांकन किया गया तथा जहां पर आवश्यकता संशोधन की होनी चाहिये उसे करने के लिये सरकार द्वारा कमेटियों का निर्माण किया गया। हर स्थान के अपने अलग अलग परिणामों को प्राप्त करके कमेटियों ने आपस में इन परिणामों का आदान–प्रदान किया और अन्त में सरकार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश की इस कृत्य का पूर्ण उद्देश्य यह था कि निर्यात प्रगति क्षेत्र के वास्तव में क्या परिणाम हैं तथा इन्हें और कैसे अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है। साथ ही साथ इनकी और क्या महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है जिन्हे पूर्ण करके अधिक से अधिक लाभार्जन किया जा सकता है। निर्यात प्रगति क्षेत्र के संचालन के समय जो कमियां महसूस की गयीं वह इन बैठकों तथा चर्चाओं का केन्द्र बिन्दु के रूप में रखी गयीं क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति निर्यात प्रगति क्षेत्र नीति का और भी विस्तृत रूप है और इसमें उधोग तथा सेवा क्षेत्र को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना था निर्यात हेतु अतएव इस नीति के अधिनियम निर्माण में बहुत ही आवश्यक था कि अधिनियम इस प्रकार का हो जो समस्त प्रकार के विशेष आर्थिक क्षेत्र चाहे वह किसी भी स्वरूप के हो चाहे वह किसी भी उधोग को समर्पित हों। किसी भी स्थान में स्थापित किये जाये, उन सभी को अधिक से अधिक सुविधाओं तथा कम से कम औचपारिकताओं की पूर्ति करायी जाये ताकि समस्त उद्योग जगत का इनके प्रति आकर्षण बढ़े और उद्योग तथा सेवाक्षेत्र के सहयोग से भारत में निर्यात की मात्रा में बढ़ोत्तरी हो सके।

अधिनियम के प्रावधान

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में बनाये गये प्रावधानों को 58 भागों में जो विभक्त है उनका वर्णन जिन 8 अध्यायों में किया गया है। उनका वर्णन निम्न तालिका द्वारा भलीभाँति समझा जा सकता है।

*Associate Professor, Faculty of Commerce, P.P.N. P.G. College, Kanpur.
E-mail Id: awadheshgupta67@gmail.com

© Eureka Journals 2016. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**

	अध्याय	प्रावधान
1.	प्रारंभिक	इस अध्याय में अधिनियम का नाम विस्तार और प्रारम्भ एवं अधिनियम में मुख्य परिभाषाओं का वर्णन किया गया है। जिससे उनकी स्पष्ट भूमिका का वर्णन हो सके तथा उन्हे समझने में सुविधा प्राप्त हो सके।
2.	विशेष आर्थिक जोन की स्थापना	अध्याय में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव की रचना की प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रावधानों का वर्णन किया गया है एवं विकासकर्ता को विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति अधिसूचना एवं संचालन हेतु प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की प्रसंस्करण एवं अप्रसंस्करण क्षेत्र की सीमा का उल्लेख से लेकर जोन की स्थापना में विकासकर्ता को प्राप्त करों, शुल्क एवं आयकर की छूट का भी विस्तृत वर्णन उपलब्ध है।
3.	अनुमोदन बोर्ड की रचना	केन्द्र सरकार के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना संचालन एवं नियंत्रण की दृष्टि से और उनके कार्यों की समीक्षा व मूल्यांकन हेतु एक बोर्ड की स्थापना की जायेगी। अध्याय में बोर्ड की रचना एवं उनके कर्तव्य अधिकारों और कार्यों से सम्बन्धित प्रावधानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। जो उन्हें अपने कार्यों का निर्वाह करने में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा।
4.	डेवलेपमेन्ट कमिश्नर	केन्द्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास कार्यों तथा विकासकर्ता के कार्यों पर अपना पूर्ण नियंत्रण व देखरेख रखने हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। जो डेवलेपमन्ट कमिश्नर के नाम से होगा। इस पद के लिये योग्यता एवं उसके कार्यों का वर्णन किया गया है।
5.	एकल खिड़की निस्तारण	विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं उसमें स्थापित इकाईयों की सहायता एवं समस्याओं का एक ही स्थान पर निवारण करने तथा उनका सर्वेक्षण करने हेतु एक अनुमोदन समिति की रचना से सम्बन्धित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इस समिति के गठन कार्य एवं इसको प्रदत्त अधिकारों का उल्लेख अध्याय में निहित किया गया है।
6.	विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिये राजकर संबंधी प्रावधान	प्रत्येक विकासकर्ता एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत इकाईयों को प्राप्त छूटों, वापसी और रियायतों जो भी इस नीति के माध्यम से प्रदान की जानी है उल्लेख किया गया है।
7.	विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण	केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुये एक समिति की रचना की जायेगी जिसका नाम उस आर्थिक क्षेत्र के नाम पर

© Eureka Journals 2016. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

		होगा। समिति के गठन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान समिति कार्यों के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र के आय तथा व्यय खातों का पूर्ण व्योरा, खातों का अंकेक्षण लाभ, कोषों सम्बन्धी रचनाओं एवं सूचनाओं के सम्बन्ध में जो प्रावधान बने उसका विस्तृत वर्णन किया गया है।
8.	प्रकीर्ण	अध्याय के अन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र में विवाद सम्बन्धी निर्देशों एवं सीमा से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। व्यक्ति पहिचान पत्र सम्बन्धी प्रावधान अनुशासन सम्बन्धी राज्य सरकारों को छूट सम्बन्धी और प्रदत्त शक्ति का भी वर्णन किया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम की रचना सम्बन्धी प्रावधान का वर्णन भी उल्लखित है।

उक्त अध्यायों में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त तीन अनुसूचियों भी सम्मिलित हैं जिनके प्रावधान निम्न हैः–

(A)	प्रथम सूची	सूची के अन्तर्गत अध्याय में वर्णित प्रावधानों को स्पष्ट रूप देने हेतु एवं संतुलन व नियंत्रण के दृष्टिकोण को महत्त्व देते हुये महत्वपूर्ण अधिनियम जो पूर्व में निर्मित हो चुके हैं को सम्मिलित किया गया है ताकि सही मार्गदर्शन एवं शासन व्यवस्था को लागू किया जा सके।
(B)	द्वितीय सूची	सूची में आयकर अधिनियम 1961 (43 of 1961) में जो भी परिवर्तनीय सुधार किये गये है से सम्बन्ध रखती है।
(C)	तृतीय सूची	इस सूची का वर्णन तीन भागों में किया गया है। बीमा सम्बन्धी अधिनियम 1938 (4 of 1938) संशोधन बैंकिंग अधिनियम 1949 (10 of 1949) में संशोधन भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1894 (2 of 1894) में संशोधन से सम्बन्ध रखती है।

उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के अधीन ही विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 का वर्णन अधिनियम की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कुछ नियमों का निर्माण जो हुआ उनके प्रावधानों का भी वर्णन तालिकानुसार समझने में सुविधाजनक होगा।

1.	प्रारंभिक	इस अध्याय में नियमों का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ एवं मुख्य परिभाषाओं का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से अधिनियम में किया गया है ।
2.	विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिये प्रक्रिया	विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के प्रस्ताव को बोर्ड के पास भेजना स्थापना संबंधी अपेक्षायें उसके उपरान्त

© Eureka Journals 2016. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

		विकासकर्ता को अनुमोदन पत्र एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा सम्बन्धी अधिसूचना एवं प्राधिकृत प्रचलनों के लिये अनुमोदन प्राप्त करने तथा विकासकर्ता द्वारा माल आयात और मानिटरिंग हेतु विकासकर्ता के अनुमोदन पत्र का अंतरण सम्बन्धी नियमों की व्याख्या की है।
3.	यूनिट स्थापना के लिये प्रक्रिया	अध्याय के अन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापना के लिये प्रस्ताव विचार तथा यूनिट को अनुमोदन पत्र देने सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन है एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों का प्रशासनिक नियंत्रण और अपतटीय बँकधारी यूनिट की स्थापना के लिये निबंधन और शर्तों का विस्तृत वर्णन किया गया है।
4.	वे निबंधन और शर्ते जिनके अध्यधीन उधमी और विकासकर्ता छूटों वापसी और रियायतों के हकदार होंगे।	प्राधिकृत प्रचालनों के लिये प्रत्येक विकासकर्ता और उधमी द्वारा प्राप्त की जाने वाली छूटों, वापसियों और रियायतों के लिये शर्तों का वर्णन किया गया है। आयात और निर्यात की सामान्य शर्ते घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपायन की प्रक्रिया माल का विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश से लेकर उपयोग तथा हटाने के सम्बन्ध में नियमों का विस्तृत वर्णन किया गया है।
5.	शर्ते जिनके अधीन माल विशेष आर्थिक क्षेत्र से घरेलू ट्रैरिफ क्षेत्र में हटाया जा सकेगा।	घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विक्रय, विक्रय की प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का वर्णन तथा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में हटाये जाने में शुल्कों का उपशमन हेतु नियम घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थायी रूप में माल हटाने और उससे सम्बन्धित प्रक्रिया नियमों की व्याख्या।
6.	विदेशी मुद्रा उपार्जन, अपेक्षाएं एवं निगरानी	शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन एवं कार्य निष्पादन की निगरानी के सम्बन्ध में नियमों का निर्माण किया गया है।
7.	अपील	अनुमोदन समिति द्वारा किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति बोर्ड में अपील दायर करने सम्बन्धी नियमों का उल्लेख है। इसमें अपील का प्रारूप समय सीमा, फीस, विषय वस्तु संलग्न करने वाली प्रतियां अपीलकर्ता के अधिकारों की जानकारी व दस्तावेज प्रस्तुतीकरण सुनवाई एवं बोर्ड के आदेश सम्बन्धी नियमों की रचना की गयी है।
8.	प्रकीर्ण	प्रवेश हेतु पहिचान पत्र सम्बन्धी, विदेशी मुद्रा प्रेषण सम्बन्धी, रूग्ण यूनिटों का पुनरूद्धार एवं यूनिटों की निकासी हेतु नियमों का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ सेवा क्षेत्र के प्रकारों का वर्णन किसी यूनिट को प्राप्त छूटों, लाभों रियायतों एवं शुल्क वापसी के प्रति रदकरण प्रक्रिया के नियमों का विस्तृत वर्णन निहित है।

© Eureka Journals 2016. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**

अधिनियम में समय समय पर हुये संशोधन

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम में वर्तमान समय तक संशोधन करने की बात पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। वाणिज्य एवं उधोग मंत्री के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के परिणाम अच्छे मिल रहे तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र आर्थिक विकास के लिये महत्वपूर्ण हो गये हैं। वर्तमान में सेज अधिनियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु वाणिज्य एवं उधोग मंत्री के इस जवाब पर वामदलों, भा0 ज0 पा0, स0पा0 एवं स्वयं कांग्रेस के सदस्यों ने कुछ तीखी प्रतिक्रिया जताई तथा अधिनियम संशोधन पर जोर देने की बात की। इस पुर्नविचार पर बल दिया साथ ही साथ कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सदस्यों ने इस पर विशेष चर्चा की मांग का प्रस्ताव भी रखा जबकि वर्तमान सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि सेज अधिनियम के उल्लंघन का कोई भी मामला सरकार के समक्ष आया तो संशोधन पर विचार किया। जायेगा।

परन्तु विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों में समय समय पर कुछ परिवर्तनीय सुधार हुये हैं। प्रथम सुधार को विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन नियम 2006 के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन प्रक्रिया में नियम सं0 5,11,18 तथा 76 में परिवर्तनीय सुधार हुये वर्ष 2007 में पुनः परिवर्तनीय सुधार हुये। जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम द्वितीय सुधार 2007 के नाम से जाना गया। जो भी नियम में सुधार हुये वह 12.10.2007 से प्रभावी हुये ।

अधिनियम तथा नियमों में संशोधन पर लगातार संसद में चर्चायें हो रही हैं। कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि अभी तक जो भी संशोधन हुये वह स्वागतोग्य है तथा साथ ही अधिनियम पर संशोधन की बात पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि यदि अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है तो अवश्य होना चाहिये। जिसके फलस्वरूप इसका उल्लंघन न हो यह अधिक से अधिक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके जिसके लिये इसका निर्णय किया गया है। इन समस्त प्रकरणों के बीच यह मुख्य बात उजागर हुई है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करने हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य जो किया जा रहा था उसमें विरोध व संघर्ष के उजागर होने के कारण हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सेज के लिये जिस मुआवजा और पुनर्वास नीति को हरी झण्डी दिखाई है, उसमें कुछ हद तक इन चीजों का ध्यान रखने की कोशिश की गयी है। इसके बाद से अब सेज के लिये कोई भी अधिग्रहण तब ही हो सकेगा जब ग्राम परिषद मुआवजे की दर को स्वीकार कर लेगा। विकास को सामाजिक रूप से न्यायोचित बनाने के लिये जरूरी है कि कोई तबका उसका शिकार न बनें और उसमें ज्यादा से ज्यादा तबके शामिल हो सकें। इस लिहाज से सेज की नीतियों में किया गया बदलाव स्वागत योग्य है।

प्रस्तुत विवरण भूमि अधिग्रहण के संबंध में निर्मित भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो भारत में इस नीति के पूर्व से बना हुआ है, उस

© Eureka Journals 2016. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

पर उचित एवं न्यायोचित ढंग से परिवर्तनीय सुधार करके उसे इस नीति के अनुरूप बनाकर सम्मिलित किया गया है। वास्तव में किसी भी देश में किसी प्रकार के विकास कार्यक्रम या नीति को क्रियान्वित करने के पश्चात यदि उस नीति से जुड़े किसी भी मद में परिवर्तन व संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे बिना किसी विलंब के परिवर्तनीय सुधार कर लेना चाहिये क्यों कि विकासशील राष्ट्रों के सन्दर्भ में इन परिवर्तनों या संशोधनों का महत्व और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन राष्ट्रों को अपने समस्त साधनों का अनुकूलतम एवं पूर्ण विकास की मनोवृत्ति को अपने अंदर रखकर अपने विकास की नीतियों को संचालित करना चाहिये।

अब तक पूर्व की नीतियां जो भारत में विकास कार्य करने हेतु बनायी गयी उन पर समयानुकूलता के आधार पर परिवर्तन न होने के कारण वह अपनी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाये हैं इस बात को भारत की नीतियों के असफलता का कारण से भी प्रतिष्ठित विचारकों द्वारा संबोधित किया गया साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया कि कोई भी नीति हेतु बनाये गये अधिनियम तथा नियमों की असली परख एवं उनका मूल्यांकन उनके क्रियान्वयन के समय ही पता चलता है और वह अपने द्वारा दिये हुये परिणामों और नीति के निर्माण के समय पूर्व निर्धारित प्रतिफल में सकारात्मकता एवं नकारात्मकता को प्रकट करती है।

अतएव विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 में जिस प्रकार के संशोधनों तथा भूमि अधिग्रहण की नीति में जिस प्रकार से क्रियान्वयन होने के पश्चात उससे प्राप्त परिणामों के आधार पर परिवर्तनीय सुधार किये गये हैं। उसी प्रकार से विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम में यदि आवश्यकता व समयानुकूल बनाने हेतु किसी प्रकार के यदि परिवर्तनीय सुधार की आवश्यकता हो तो उसे अवश्य कर लेना चाहिये। ताकि पूर्व की भाँति इस नीति की भी असफलता व वांछित फल को न प्राप्त कर पाने का कारण उसमें समय पर न किये गये परिवर्तन तथा संशोधन बने।

इस लिहाज से यदि देश के प्रतिष्ठित विचारकों एवं आर्थिक मामलों के जानकारों द्वारा एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी बात को कहने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुये देश की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों द्वारा इस नीति पर संशोधन व परिवर्तनीय सुधार की बात पर गहन वार्ता का प्रस्ताव जो मांगा जा रहा है। उस पर कार्य किया जा रहा है तथा साथ ही उस नीति से जुड़े हुये हर प्रकार के मत भिन्नता एवं असहमति के जो भी मत हैं उनको पूर्ण रूप से स्पष्ट कर अधिक से अधिक लोगों को संतुष्ट करने का कार्य निरंतर चलाये जाने की बात भी सामने आ रही है तथा यदि किसी विचारक द्वारा अपना सुझाव भी दिया जा रहा है तो वाणिज्य एवं उधोग मंत्री द्वारा स्पष्ट विचारों में उन्होंने कहा है कि हम उन सुझावों का स्वागत करेंगे तथा समयानुसार परिवर्तनीय सुधार भी लागू करेंगे। यदि किसी भी प्रकार से इसकी आवश्यकता उन्हें दिखी तो वह इस कृत्य का क्रियान्वय निश्चित रूप से करेंगे और देश को अधिक से

© Eureka Journals 2016. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

अधिक लाभान्वित करायेंगे एवं इस नीति को उत्तमता प्रदान करेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference)

1. The Special Economic Zones Act, 2005 and the Special Economics Zones Rules.
2. Aggarwal, Aradhana, Special Economic Zones revisiting policy debate, EPW (2006).
3. Venu, M.K., "Farmers have a stakc in growth." (2006)
4. Palit A., Bhattacharjee S., Special Economic Zones in India Myths and Realities, Anthem Press (2008).
5. Balkrishna, R., "Recent trends in Indian Finance", University of Madras, (Digitized in 2009).
6. Farole, T. Akinci G., "Special Economic Zones; Progress, Emerging Challenges and future directions" World Bank (2011).
7. "Yojana" Yojana Bhawan, New Delhi (2005).
8. Cross, J. (2015). The Economy of Anticipation Hope, Infrastructure, and Economic Zones in South India. *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, *35*(3), 424-437.

© Eureka Journals 2016. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501